

जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनाँक 24-05-21

थाना विजयनगर पुलिस व क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान, धमकी भरे पत्र भेजकर फिरौती मांगने व हत्या करने की धमकी देने वाले चार अभियुक्तों को मय अवैध असलाह के किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 04.05.21 को हरकेश लूथरा पुत्र स्व. श्री जगदीश राज, निवासी 50ए-ई ब्लाक, नियर कृष्णा विहार अपार्टमेन्ट, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबादद्वारा थाना विजयनगर पर मु.अ.सं. 451/21 धारा 506 भादवि बनाम अज्ञात लोगो द्वारा शादी के कार्ड में एक धमकी भरा पत्र व कारतूस रख कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था।

कार्यवाही: पुलिस उप-महानिरीक्षक / विरष्ठ पुलिस अधीक्षक,गाजियाबाद श्री अमित पाठक द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम को निर्देशित किया था। उच्च अधिकारियों के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में क्राइम ब्रांच टीम व प्रभारी निरीक्षक विजयनगर मय टीम द्वारा दिनांक 23.05.21 को अभियोग में प्रकाश/वाछित मे अभियुक्तो 1 यशपाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी म.नं. ई-216, सै.11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद2.सुनील उर्फ बाली पुत्र नरेन्द्र बाली, निवासी म.नं. 15, माधोपुरा, थाना विजयनगर, गाजियाबाद3.विकास त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी, निवासी म.नं.2, गली नं. 2, सुभाष नगर, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद4.सूरज कुमार पुत्र स्व- प्रेम कुमार, निवासी म.नं. 43, सै. 2, वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान चांदमारी झुग्गी झोपडी के पास खाली ग्राउण्ड थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त विकास त्यागी उपरोक्त के कब्जे से एक नाजायज देशी तमंचा .32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त सुनील उर्फ बाली के विरुद्ध पूर्व से मु.अ.सं. 18/16 धारा 302,34 भादवि थाना इन्दिरापुरम भी पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त यशपाल द्वारा बताया कि मैं हरकेश लूथरा को अच्छी तरह जानता हूँ और उसका बहुत करीबी हूँ। हरकेश लूथरा दिल्ली में अपना बिजनेस करता है। और कुछ दिन पहले मैने अपने दोस्त हरकेश लूथरा के खरीद फरोख्त में भी कुछ पैसे ऐंठ लिये थे। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरा दोस्त हरकेश लूथरा दिल का बहुत ही कमजोर व्यक्ति है और छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैने अपने साथी स्नील बाली, के साथ मिलकर एक योजना बनायी कि हरकेश लूथरा को एक धमकी वाला पत्र भेजकर रुपये की मांग की जाये तो वह आसानी से रुपये दे देगा। योजना के मुताबिक यशपाल, सुनील बाली ने धमकी भरा पत्र लिखकर हरकेश लूथरा से 25 लाख रुपये की मांग की जिसमें उनका साथ उनके अन्य साथियों विकास त्यागी व सूरज द्वारा योजना में शामिल होकर योजना को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से पैसे ऐंठने के लिए एक धमकी भरा पत्र व एक कारतूस शादी के कार्ड में रखकर हरकेश लूथरा को उसके घर भिजवाया। हरकेश लूथरा द्वारा उक्त धमकी भरे पत्र पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गयी तो अभियुक्तगण द्वारा दोबारा धमकी भरा पत्र 25 लाख रुपये की मांग के साथ एक कारतूस रखकर एक बच्चे को पचास रुपये देकर हरकेश लूथरा के घर भिजवाया। तथा अभियुक्त विकास त्यागी से दौराने गिरफ्तारी 32 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई जिसके बारे में विकास ने बताया कि यह पिस्टल उसे सूरज ने दी है। तथा सूरज ने बताया हम लोगो ने हरकेश लूथरा से रुपये ऐंठने के उद्देश्य से पूरी योजना बनायी थी जिसमें हम लोगो को जो रुपये मिलते वह बराबर बराबर बांट लेते तथा यह पिस्टल जो विकास त्यागी से मिली है यह मैने ही दी थी। जो मैने दो दिन पहले सुनील बाली से ली थी। अभियुक्तगणों ने संयुक्तरुप से बताया कि हम लोग आज उसी योजना में अगली कार्यवाही के लिए इकड़ा हुए थे।

- 1.यशपाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी म.नं. ई-216, सै.11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद
- 2.सुनील उर्फ बाली पुत्र नरेन्द्र बाली, निवासी म.नं. 15, माधोपुरा, थाना विजयनगर, गा.बाद
- 3.विकास त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी, निवासी म.नं.2, गली नं. 2, सुभाष नगर, थाना नन्दग्राम, गा.बाद
- 4.सूरज कुमार पुत्र स्व- प्रेम कुमार, निवासी म.नं. 43, सै. 2, वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास सुनील उर्फ बाली उपरोक्त

मु.अ.सं. 18/16 धारा 302,34 भादवि थाना इन्दिरापुरम,गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1- मु.अ.सं. 451/21 धारा 386,506,34 भादवि बनाम यशपाल, सुनील बाली, विकास, सूरज 2-मु.अ.सं. 655/21 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम विकास त्यागी उपरोक्त बरामदगी

एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर अभियुक्त विकास त्यागी से



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अन्तर्राजीय वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल अपाचे नं0 यूपी 14 डीडब्लू 8446 बरामद ।

दिनांकः 24.05.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरूद्ध चलायें जा रहें अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 23. 05.21 चैकिंग के दौरान अर्थला मैट्रो स्टेशन के पास बन्द पड़ा पैट्रोल पम्प से एक अभियुक्त आजम पुत्र मौ० जमाल उम्र 20 वर्ष नि० शोखपुर खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड को चोरी की एक मोटर साईकिल फर्जी नं० यूपी 14 जे 8792 व असली नं० यूपी 14 डीडब्लू 8446 के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थान सिहानीगेट



पर मु०अ०सं०

640/2021

धारा 379

भादवि

पंजीकृत

है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु एंव अपनी नशे की पूर्ती वाहन चोरी करते है हमने अपाचे मो0सा0 3 से 4 दिन पहले कल्लूपुरा बसन्त रोड स चुराकर असली नम्बर प्लेट यूपी 14डीडब्लू 8446 को फेंक कर फर्जी नं0 प्लेट यूपी 17 जे 8792 को लगाकर चला रहा था तथा मौका लगते ही इसे बेचने वाला था कि पकडा गया नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1. आजम पुत्र मौ० जमाल नि० ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीव २० वर्ष। **पंजीकृत अभियोगो का विवरणः**-
 - 1. मू०अ०सं० 981/2021 धारा 411,414,482 भदवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
- 2. उ०नि० सन्दीप कुमार
- 3. उ0नि० मनोज कुमार
- 4. का0 अरविन्द कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मो0सा0 अपाचे असली नं0 यूपी 14 डीडब्लू 8446 फर्जी नं0 यूपी 14 जे 8792 सम्बन्धित मु0अ0सं0 640/21 धारा 379 भादिव थाना सिहानीगेट गा0बाद।



<u>-:प्रेस नोट:- 02</u>

थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 80 पव्ये नाजायज अंग्रेजी शराब रॉयल ग्रिन उ०प्र० मार्का बरामद ।

दिनांकः 24.05.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / विरुष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम एंव आब0 विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.05.2021 को चैकिंग के दौरान शहीद प्यारे लाल कालोनी कट भौपुरा रोड से एक अभियुक्त भारत कोहली पुत्र परसराम नि0 के- 329 जे0जे0 कालोनी बजीरपुर थाना भारत नगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को 80 पत्ये नाजायज अंग्रेजी शराब रॉयल ग्रिन उ0प्र0 मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु नशे के आदी चलते फिरते लोगो को ठेका बन्द होने के बाद महगे दामो में शराब बेचता है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

- 1. भारत कोहली पुत्र परसराम नि0 के- 329 जे0जे0 कालोनी बजीरपुर थाना भारत नगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष। <u>पंजीकत अभियोगो का विवरणः-</u>
 - 1. मु०अ०सं० ९८२/२०२१ धारा ६० आब० अधि० थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
- 2. आ0नि0 आशीष पाडे
- 3. हे0का0 होमपाल
- 4. का0 हरदीप
- 5. है0का0 आब0 रविकान्त
- 6. का0 आब0 विपिन कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 80 पव्वे अंग्रेजी शराब रॉयल ग्रिन उ०प्र० मार्का बरामद।

-:प्रेस नोट:- 03

थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अदद नाजाजय चाकू व मु0अ0सं0 955/21 धारा 457,380 भादिव से सम्बन्धित चोरी किया गया गैस सिलेण्डर बरामद ।

दिनांक: 24.05.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / विरुष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यविक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 23.05.2021 को चैिकंग के दौरान हिण्डन एयर फोर्स चौराहे से मुखिबर की सूचना पर एक अभियुक्त मुदिस्सर पुत्र अफसर नि0 चावल वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को एक अदद नाजाजय चाकू तथा मु0अ0सं0 955/21 धारा 457,380 भादिव से सम्बन्धित चोरी का एक एल0पी0जी0 सिलेण्डर के साथ गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु रात के समय घरो में घुसकर चोरी करता है मैने जो सिलेण्डर राजेन्द्र नगर से चोरी किया है आज उसे बेचने जा रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मुदिस्सर पुत्र अफसर नि0 चावल वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

- 1. मु०अ०सं० १८३/२०२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 2. मु0अ0सं0 955/2021 धारा 457,380,411 भादिव थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
- 2. उ0नि0 महाबीर सिंह
- 3. हे0का0 राजन
- 4. हे0का0 महेश दत्त शर्मा

बरामदगी का विवरण:-

1. 80 पव्ये अंग्रेजी शराब रॉयल ग्रिन उ०प्र० मार्का बरामद।

-:प्रेस नोट:- 04

थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 35 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज बरामद ।

दिनांकः 24.05.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / विरूठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 23.05.2021 को चैकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन अण्डर पास से एक अभियुक्त रोहित कश्यप पुत्र मुरारी लाल कश्यप नि0 जी-145 जनकपुरी निकटो वाली थाना सा0बाद गाजियाबाद को 35 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु नशे के आदी चलत फिरते लोगो को नशीला पाउडर अल्प्राजोलम को बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रोहित कश्यप पुत्र मुरारी लाल कश्यप नि0 जी-145 जनकपुरी निकटो वाली थाना सा0बाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

2. मु0अ0सं0 984/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
- 2. उ0नि0 रामबीर सिंह
- 3. है0का0 तारिक अली
- 4. का0 संजय पाल

बरामदगी का विवरणः-

1. 35 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम नशीला पाउडर बरामद।

प्रेस नोट

दिनांक 24.05.2021 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस ने एक अभियुक्त को 28 पव्वे अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का के किया गिरफ्तार।

प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.21 समय 20.35 बजे चैकिंग के दौरान लोनी डिपो से थाना लोनी बार्डर क्षेत्र से एक अभियुक्त अमन पुत्र मोहनलाल नि0 प्रताप नगर, हर्ष विहार, पूर्वोत्तर दिल्ली को 28 पव्ये अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अमन पुत्र मोहनलाल नि0 प्रताप नगर, हर्ष विहार, पूर्वोत्तर दिल्ली।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 386/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त अमन से बरामदगी का विवरण-

28 पव्वे अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 उ0नि0 नरेश सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
- 2. है0का0 719 ललित कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।



प्रेसनोट

थाना मसूरी पुलिस द्वारा चोरी का वांछित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही - श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 24.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब चोरी का वांछित अभियुक्त चीनी उर्फ आजाद पुत्र लैय्या नि. मोहल्ला बाजीगरान डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को समय लगभग 05.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- श्री महरूद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन नि0 मुगल गार्डन पिपलेहडा थाना धौलाना हापुड ने अज्ञात चोरो द्वारा महेन्द्रा बोलेरो पिकअप न0-DL1LAD 0719 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 07.08.20 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 419/20 धारा 379 भादिव पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0िन0 श्री लोगेश कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अभि0 चीनी उर्फ आजाद उपरोक्त को दिनांक 24.05.2021 को समय 05.40 बजे उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

(1) चीनी उर्फ आजाद पुत्र लैय्या नि0 मोहल्ला बाजीगरान डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग

- (1) मु0अ0स0 419/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद ।
- (2) मु0अ0स0 181/18 धारा 398/401 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।
- (2) मु0अ0स0 182/18 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद।



<u>थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद।</u> थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कुल 300 अदद अल्प्राजोलम नशीली गोलियाँ व 02 अदद चाकू नाजायज बरामद

दिनांक 24-05-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक: 24/05/2021 समय 02.10 बजे को रेलवे अस्पताल के सामने सडक चौकी क्षेत्र माडल टाउन थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त नरेश सैनी पुत्र डालचन्द को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 300 अदद नशीली गोलियाँ अल्प्राजोलम टेबलेट व 02 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-450/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0-451/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अंकुर व मु0अ0सं0-452/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 453/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम प्रिन्स पंजीकृत है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-

पूछताछ पर तो दोनो ने एक स्वर में बताया कि साहब हम लोग यहां चलते फिरते लोगो व रेलवे स्टेशन के आसपास पडे नशेडी व्यक्तियों को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

अंकुर उर्फ छोटू पुत्र स्व**0 मनोज शर्मा** नि0 आर्यनगर पब्लिक माडल स्कूल के पास थाना सिंहानी गेट जिला गा0बाद उम्र करीब 27वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुर उर्फ छोट् उपरोक्त

- 1. मु एनडीपीएस एक्ट 22/8 धारा 2021/450-030सं0थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 2. मुआर्म्स एक्ट २५/४ धारा २०२१/४५१-०अ०सं० थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

प्रिन्स पुत्र स्व0 श्री कृपाल सिंह निवासी म0न0-125 मालीवाडा थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद उम्र करीव 28 वर्ष । आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रिन्स उपरोक्त

- 1. मु एनडीपीएस एक्ट 22/8 धारा 2021/452- 0अ0सं0थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 2. मुआर्म्स एक्ट २५/४ धारा २०२१/४५३ ०अ०सं० थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्र0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 2. उ0नि0 श्री पवेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 3. है0का0 869 बाजिद अली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- **4.** का० ३१३० सरताज आलम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 1. कुल 300 नशीली गोलीया अल्प्राजोलम टेबलेट।
- 2. 02 अदद चाकू नाजायज।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा सडक पर कार सवारों को दुर्घटना का बहाना बनाकर, पुलिस में केस करने का भय दिखाकर रूपये वसूलने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 7000/- रु नगद व अवैध असलाह बरामद।

पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अपने साथ एक्सीडेंट का बहाना बनाकर व पुलिस में केस करने का भय दिखाकर रुपये वसूलने वाले शातिर गिरोह के 03 अभियुक्तो को प्रभारी निरीक्षक इन्दिरापुरम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.05.2021 को साई मन्दिर सै0 15 के पीछे ऐलीवेटिड रोड के नीचे चौकी क्षेत्र प्रहलादगढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 अदद चाकू व 7000 रू0 नकद बरामद।

अभियुक्तगण द्वारा सडक पर कार सवारों को पीछा करके रोक कर झूठें एक्सीडेन्ट के मुकदमें में जेल भिजवाने की धमकी देकर तथा उन व्यक्तियों से उनके नाम, मोबाइल नम्बर व पते लेकर उन्हें बार बार मुकदमें में जेल भिजवाने का भय दिखाकर पैसे वसूलने का अवैध कार्य किया जाता है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम में मु0अ0स0 951/2021 धारा 384/388/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पताः-

- 1 संदीप आर्य पुत्र स्व0 मदनलाल नि0.197 भगतपुरा थाना ब्रहम्पुरी मेरठ हाल पता कृष्णा सोसायटी डी.19 द्वितीय फ्लोर सै0.10 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
 - 2 अनिल उर्फ विपुल पुत्र स्व0 अजीत पाल सिंह नि0 मौ0 चिपयाना फैस कालोनी जंगीराबाद थाना जंगीराबाद बुलन्दशहर हाल पता म0न0.193/एफ सै0.6 वैशाली थाना इन्दिरापुरम गा0बाद,
 - 3 प्रमोद कुमार पुत्र रामरतन सिंह नि0. मौहल्ला आहनग्राम जंगीराबाद थाना जंगीराबाद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरणः-

- 1. 01 अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस
- 2. 01 अदद चाकू नाजायज व
- 7000 रू0 नकद



थाना मुरादनगर क्षेत्र में लूटे गये सोने के लोकेट सहित मौके से 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.05.2021 को रावली कट के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद से थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी गुप्ता मार्किट पुर पुर्सी थाना मुरादनगर गा0बाद 2- प्रिंन्स पुत्र अमित पाल निवासी न्यू डिफेन्स कालोनी गली न0 7 मकान न0 235 थाना मुरादनगर गा0बाद 3- रिकू पुत्र गोविन्द सिंह नन्दा निवासी ग्राम पुरपुर्सी थाना मुरादनगर गा0बाद 4. सागर पुत्र सतीश नि0 गाव गुप्ता मार्केट मुरादगांव पुर पुर्सी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद को लूटे गये सोने के लोकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटनाक्रम – दिनांक 24.05.2021 को रावली रोड मुरादनगर निवासी संजीव कुमार पुत्र रामिकशन मननधाम से रवाली रोड आटो से बैठकर जा रहे थे तो रावली कट से थोडा आगे आटो रुकते ही 04 लडके आटो के पास आये तथा संजीव का लौकेट छीनकर भागने लगे इस पर वादी द्वारा 100 नम्बर पर कॉल किया गया तो पुलिस व ग्रामीणों की सहायता से चारो लुटेरों को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0स0 429/21 धारा 392,411,34 भादिव पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

1. एक सोने का लोकेट

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

- 1. सोनू उर्फ राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी गुप्ता मार्किट पुर पुर्सी थाना मुरादनगर गा0बाद
- 2. प्रिंन्स पुत्र अमित पाल निवासी न्यू डिफेन्स कालोनी गली न0 7 मकान न0 235 थाना मुरादनगर गा0बाद
- 3. रिकू पुत्र गोविन्द सिंह नन्दा निवासी ग्राम पुरपुर्सी थाना मुरादनगर गा0बाद
- 4. सागर पुत्र सतीश नि0 गाव गुप्ता मार्केट मुरादगांव पुर पुर्सी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद



लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 2 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 225 ग्राम नशीला पाउडर बरामद

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्त 1. अफसर अली पुत्र अली जान निवासी गली न . 1 अंसार विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2 हसन पुत्र अब्दुल कादिर निवासी बुध सिंह पब्लिक स्कूल के पास बन्द गली अंसार विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद के साथ वृध सिंह स्कुल के पास अंसार विहार लोनी चौकी क्षेत्र डीएलएफ से दिनांक 24.05.2021 को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास:-

1.अफसर अली पुत्र अली जान निवासी गली न0 1 अंसार विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद। 1. मु0अ0 648/21 धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट थाना लोनी गा0बाद।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहासः-

- 1. हसन पुत्र अब्दुल कादिर निवासी बुध सिंह पब्लिक स्कूल के पास बन्द गली अंसार विहार थाना लोनी गा0बाद
- 1. मु0अ0 649/21 धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट थाना लोनी गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 सतीश कुमार पुरी
- 2.है0का0 1391 पंकज सिह
- 3.का0 769 मनीष कुमार

बरामदगी का विवरणः-

225 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर नाजायज बरामद



थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्र में अलग-अलग मोटर साइकिलों से मोबाइल फोन लूटने की घटनाओं को अन्जाम देने वाले शातिर गिरोह के 09 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 17 मोबाइल फोन, घटनाओ में प्रयुक्त की जाने वाली 04 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व अवैध असलाह बरामद।

श्रीमान पुलिस उप- महानिरीक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मोबाइल लूट/चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक इन्दिरापुरम महोदय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा शातिर किस्म के 09 मोबाइल लुटेरों को दिनांक 23.05.2021 को शनि मन्दिर चौकी

क्षेत्र नीतिखण्ड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 17 अदद मोबाइल, 04 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद स्कूटी व एक अदद नाजायज तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ है।

सभी गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण एन0सी0आर0 क्षेत्र में मोटर साइकिलों से लोगों से मोबाइल लूटने की घटनाओं को अन्जाम देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पते:-

- 1 पीयूष गोयल पुत्र मनोज गोयल नि0 म0न0 36 गेट नं0 02 आवास विकाश वृदावन एन्कलेव काशीराम थाना विजय नगर गा0बाद
- 2 सोनू राजपूत पुत्र उदय सिंह नि0 396 रोजी कालौनी सै0 12 विजय नगर गा0बाद
- 3 विकास गिरी पुत्र सन्तोष गिरी नि0 माता कौलीनी सै0 12 विजय नगर गा0बाद
- 4 मोहित वर्मा उर्फ मोनू पुत्र कल्याण चन्द वर्मा नि0 फ्लैट नं0 212 वृदावन सोसायटी सिद्धार्थ विहार थाना विजय नगर गा0बाद
- 5 योगेश पुत्र प्रेमपाल नि0 साँई एन्कलैव थाना नन्दग्राम गा0बाद
- 6 अमन पुत्र राम सिंह यादव नि0 फ्लैट नं0 1564 /5 वृदावन सोसायटी सिद्धार्थ विहार थाना विजय नगर गा0बाद
- 7 वरुण गोस्वामी पुत्र राज कुमार गोस्वामी फ्लैट नं0 304 काशीराम योजना विजय नगर गा0बाद
- 8 सोनू पुत्र जगशरण नि० म०न० ६८२ माता कालौनी सै० १२ विजय नगर गा०बाद
- 9 करन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० म०न० ४४० माता कालौनी सै० 12 विजय नगर गा०बाद

बरामदगी का विवरण-

17 मोबाइल विभिन्न कम्पनी

04 मोटर साइकिल

01 स्कूटी

एक नाजायज तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

एक चाकू नाजायज

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त पीयूष गोयल पुत्र मनोज

- 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 2. मु0अ0सं0- 1834/2020 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 3. मु0अ0सं0- 1981/2020 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

अभियुक्त सोनू राजपूत पुत्र उदय सिंह

- 1. मु0अ0सं0- 984/2021 धारा ४/25 आर्म्स अधि0 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 2. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 3. मु0अ0सं0- 1834/2020 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

अभियुक्त विकास गिरी पुत्र सन्तोष गिरी

- 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त मोहित वर्मा उर्फ मोनू
- 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त योगेश पुत्र प्रेमपाल
 - 1. मु0अ0सं0- 983/2021 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
 - 2. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
 - 3. मु0अ0सं0- 2275/2019 धारा 411/414 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
 - 4. मु0अ0सं0- 2274/2019 धारा 307 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

- 5. मु0अ0सं0- 21/2019 धारा 379/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 6. म्0अ0सं0- 3134/2019 धारा 379/411/414 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 7. म्0अ0सं0- 537/2019 धारा 392/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 8. मु0अ0सं0- 736/2020 धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 9. मु0अ0सं0- 1981/2020 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त अमन पुत्र राम सिंह
- 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त वरुण गोस्वामी पुत्र राज कुमार
- 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त सोनू पुत्र जगशरण
 - 1. मु0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- 2. मु0अ0सं0- 969/2021 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद। अभियुक्त करन सिंह पुत्र राजेन्द्र
 - 1. म्0अ0सं0- 985/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
 - 2. मु0अ0सं0- 969/2021 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,गाजियावाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटीपुलिसद्वारामु0अ0स0553/2020धाऱा224,225,307,323,332,341,353,336,395,3 97,427,504,34 भादिव व 07 सी एल ए एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त आसिफ पुत्र असलम नि0 यमुना सिटी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0 बाद को एसटीडी चौक ट्रोनिका सिटी गा0 बाद गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1- आसिफ पुत्र असलम नि0 यमुना सिटी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ वीवो मोबाइल फोन व चोरी की मो0साईकिल स्पलेन्डर प्लस बरामद।

पुलिस उप-महानिरीक्षक/ विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियावाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 24-05-2021 को सिद्ध बाबा मन्दिर के पास चैकिंग करते हुये समय करीब 10.00 बजे संदीप खारी पुत्र रणवीर खारी निवासी ग्राम खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिकासिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है, । जिसके कब्जे से दिनांक 19.05.2021 को करीम होटल पावी के सामने से लूट की घटना के लूटा हुया मोबाइल फोन व सौरभ कुमार की दिनांक 17.05.2021 को चौहान पट्टी सोनिया विहार दिल्ली से चोरी मो0साईकिल स्पलेन्डर प्लस नं0 DL 5S CH4847 को बरामद हुई है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1- संदीप खारी पुत्र रणवीर खारी निवासी ग्राम खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिकासिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

1 मु0अ0सं0 293/21 धारा 392/411 भादवि में लूटा गया मोबाइल फोन मु0अ0सं0 13002/21 धारा 379 भादवि थाना सोनिया बिहार पूर्वोत्तर दिल्ली में चोरी की गयी मो0साईकिल स्पलेन्डर प्लस नं0- **DL**

5S CH4847

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 293/21 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद। मु0अ0सं0 13002/21 धारा 379 भादवि थाना सोनिया बिहार पूर्वोत्तर दिल्ली। मु0अ0सं0 295/21 धारा 411/414/482 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद।



